

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं सहायता डूंगरपुर (राज.)
क्रमांक:-एफ. 35 () सहायता / 2020-21 / 2692-97

दिनांक :- 4.06.2020

-:कार्यालय आदेश:-

जिले में तहसील गलियाकोट की ग्रामो में अत्यधिक वर्षा (लगातार वर्षा से उत्पन्न जल भराव) से हुई मकान क्षति एवं घरेलु सामग्री क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रकरण तहसीलदार गलियाकोट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के माध्यम से निर्धारित आवश्यक दस्तावेज एवं राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर. एफ.) नोर्मस के अनुसार आर्थिक, सहायता उपलब्ध कराने की अभिशंषा के साथ पत्रादि प्रेषित की है। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के प्राकृतिक आपदा राहत कोष से संबंधित आदेश दिनांक 08.04.2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नालिखित को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा बजट आवंटित होने पर सहायतार्थ अनुदान बिल के माध्यम से संबंधित को भुगतान करने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क. सं.	व्यक्ति का नाम जिसो भुगतान किया जाना है	निवासी	घटना कि दिनांक	घटना की प्रकृति	स्वीकृत सहायता राशि	बैंक खाता संख्या मय आई एफ.एस.सी कोड
1	श्री मणीलाल पिता भीखा वामणिया	रामसौर	16.09.2019	अत्यधिक वर्षा (लगातार वर्षा से उत्पन्न जल भराव)	3200/-	बैंक ऑफ बडौदा 15000100005313 (IFSC.COD)BARB0CHIDUN
2	श्री बापु पिता कमजी रडार	जसेला	16.09.2019	अत्यधिक वर्षा (लगातार वर्षा से उत्पन्न जल भराव)	3200/-	बैंक ऑफ बडौदा 53578100001158 (IFSC.COD)BARB0GARIYA
3	श्री मोहन पिता गेदाल पारगी	पारडा विष्णुजी	16.09.2019	अत्यधिक वर्षा (लगातार वर्षा से उत्पन्न जल भराव)	3200/-	बैंक ऑफ बडौदा 15000100000203 (IFSC.COD)BARB0CHIDUN
4	श्री गदुलाल पिता लेम्बा पाण्डोर	पारडा विष्णुजी	17.09.2019	अत्यधिक वर्षा (लगातार वर्षा से उत्पन्न जल भराव)	3200/-	बैंक ऑफ बडौदा 53570100004751 (IFSC.COD)BARB0GARIYA
5	श्री जीता पिता हिरा पारगी	जसेला	18.09.2019	अत्यधिक वर्षा (लगातार वर्षा से उत्पन्न जल भराव)	3200/-	बैंक ऑफ बडौदा 53578100000714 (IFSC.COD)BARB0GARIYA
				योग	16000/-	

1. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद से किया जायेगा।

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

02-बाढ़ चकवात आदि

113-घर की मरम्मत, पुर्न-निर्माण के लिये सहायता

(09) -बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्न-निर्माण के लिये सहायता

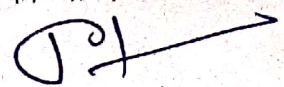
[07]-आंशिक क्षतिग्रस्त घर

12- सहायतार्थ अनुदान [P]

2. बिल पारित करा राशि प्रार्थी के बैंक खाते में पे-मेनेजर के माध्यम से जमा कराई जावेगी।

3. राशि के आहरण व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

4. स्वीकृत राशि आवंटित होने पर भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(काना राम)

जिला कलक्टर

आपदा प्रबंधन एवं सहायता
डूंगरपुर

क्रमांक:-एफ. 35 () सहायता / 2020-21 / १६१२-१७

दिनांक :- ५.06.2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य लेखा अधिकारी आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा
3. तहसीलदार गलियाकोट
4. कोषाधिकारी कोष कार्यालय डूंगरपुर
5. आदेश पंजिका रक्षित पत्रावली



प्रभारी अधिकारी
आपदा प्रबंधन एवं सहायता
डूंगरपुर